विद्यालय - DELHI PUBLIC SCHOOL JAIPUR (P44787) आवेदन क्रमांक : 51120

मान्यता कोड : RJJAI35251

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JAIPUR , राजस्थान

क्रमांक: DEO(HQ) Sec/JPR/L-5/24-25/1442 दिनांक 07-01-2025

सचिव

प्रबंध समिति

DELHI PUBLIC SCHOOL JAIPUR

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 51120 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, DELHI PUBLIC SCHOOL JAIPUR पता N.H.48, AJMER ROAD, BHANKROTA, JAIPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय SANGANER CITY(Greater Jaipur) ब्लॉक SANGANER CITY(U) आसा पासा (पूर्व -पश्चिम,उत्तर दक्षिण) BHANKROTA, JAIPUR खसरा न. 301,302,173,174 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	DELHI PUBLIC SCHOOL JAIPUR
स्वीकृत नवीन नाम	DHARAV HIGH SCHOOL JAIPUR

07/1/25
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर

Seema
Principal
Delhi Public School
Jaipur

विद्यालय - DELHI PUBLIC SCHOOL JAIPUR (P44787) आवेदन क्रमांक : 51120

मान्यता कोड : RJJAI35251

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
8. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
11. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरूद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नही किया जावें, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तो का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।

Seema
Principal
Delhi Public School
Jaipur

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।

कार्यालय आदेश

देहली पब्लिक स्कूल [illegible] अजमेर रोड, जयपुर को निजी आवासीय/गैर आवासीय संस्था में राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान मान्यता एवं अनुदान नियम-1993, एवं तत्पश्चात किये गये संशोधित के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सत्र 2004-05 से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता उनके आवेदन एवं निरीक्षण दल की अभिशंषा पर दी जाती है।

मान्यता शर्तों/नियमों की पालना न करने अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

शर्तें:-

1- कक्षा अनुपात से प्रशिक्षित प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जावें।
2- छात्र संख्या निर्धारित मानदण्डानुसार होनी चाहिये।
3- कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्ते आदि की सुविधा दी जावे।
4- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा।
5- 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति पर आय व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय में आंकिक शाखा में प्रस्तुत करें।
6- शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत शिक्षा से वंचित परिक्षेत्र के बच्चों को आवासी शाला से अनिवार्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
7- शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं प्रमाण पूर्णतया वास्तविक एवं सही होने चाहिए।
8- विभागीय आदेशों एवं नियमों की अक्षरशः पालना की जानी आवश्यक है।
9- [illegible]

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा०शि०, जयपुर।

क्रमांक: जिशिअ/जय/प्रा०शि०/मान्यता/मा०/ 01 दिनांक: 23/5/04

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-
1- जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० जयपुर प्रथम, जयपुर।
2- संचालक, देहली पब्लिक स्कूल, अजमेर रोड, जयपुर
3- रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा०शि०, जयपुर।

Seema

Principal
Delhi Public School
Jaipur

प्रारूप–2

(नियम 8 क का उप–नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा–5/फा–मान्यता/आर.टी.ई/सांगा/858 दिनांक 30.12.15

संस्था सचिव

देहली पब्लिक स्कूल

अजमेर रोड भाकरोंटा जयपुर

विषयः–नियम 8–क के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

संदर्भः– क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा–5/फा–मान्यता/ सांगा /0347/ दिनांक 17.04.12

संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र दिनांक .... के क्रम में निर्धारित मापदण्ड पूर्ति एवं आक्षेपों की पूर्ति के आधार पर पूर्व आदेश को संशोधन कर विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं देहली पब्लिक स्कूल अजमेर रोड भाकरोंटा जयपुर को 01.04.2015 से कक्षा प्रथम से 8 तक के लिए आर.टी.ई.की मान्यता मंजूर करता हूं। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगीः–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।

2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्दीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विधालय, कक्षा–1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।

4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या असके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।

6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :

Seema

Principal
Delhi Public School
Jaipur

(i) विद्यालय मे प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ;

(ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;

(iii) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ;

(v) (2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित किया जाये ;

(vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें ;

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते है, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;

(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं ; और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेगें।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्विवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :– (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र–प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल–कूद के मैदान का क्षेत्र
- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिए पृथक–पृथक शौचघर
- पीने के पानी की सुविधा

Seema

Principal
Delhi Public School
Jaipur

- मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
- अवरोध मुक्त पहुंच
- अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल–कूद उपस्कर/ पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता हैं।

13. किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड़ संख्या **जे.पी.आर./ सांगा /आर.टी.ई./0347/ दिनांक 17.04.12** हैं। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंगिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिचित करें।

17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

Seema

Principal
Delhi Public School
Jaipur